

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 103/2020 GCMS 2020/00201

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

हीराराम पुत्र पेमाराम जाट वगैरह, भोमाराम शंकरलाल पि. पूसाराम मेघवाल वगैरह, पतासी पत्नी भैराराम मेघवाल, सम्मान कंवर पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत वगैरह, मूलाराम पुत्र मोडूराम मेघवाल वगैरह रसाल तहसील कुचामनसिटी

आदेश

दिनांक :- 25/9/2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल भूअ.निरीक्षक जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 40, 42, 19, 21, 11, 12, 13, 22, 1250/12, 1367/52, 1369/41, 1370/41 में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार कुचामनसिटी ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रसाल पटवार मण्डल रसाल भूअ.निरीक्षक जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 40, 42, 19, 21, 11, 12, 13, 22, 1250/12, 1367/52, 1369/41, 1370/41 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शे एवं मौका रिपोर्ट में वर्णितानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 25/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

